

## विहंगावलोकन

---

### I. नौपरिवहन और संबंधित क्षेत्रों के लिए छूटों, कटौतियों और अनुमतियों पर समीक्षा

लेखापरीक्षा ने उपलब्ध तथा कार्यान्वित प्रणालियों तथा पद्धतियों की पर्याप्तता का पता लगाने की दृष्टि से नौपरिवहन तथा संबंधित क्षेत्रों में निर्धारितियों के आयकर निर्धारणों, निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2006-07 तथा 2007-08, जहां कहीं उपलब्ध थे, की समीक्षा की है। समीक्षा में नौपरिवहन प्रचालनों तथा संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए निर्धारितियों जैसे नौपरिवहन एजेंटों, कलीयरिंग तथा फारवर्डिंग एजेंटों, आदि, पत्तन न्यासों तथा डीटीएए अथवा अन्यथा के अन्तर्गत राहत लेने वाले समुद्रवर्ती कारबार से लाभ उठाने वाले अनिवासी निर्धारितियों को शामिल किया गया था। इस समीक्षा में क्रमशः 187.40 करोड़ रु. तथा 299.81 करोड़ रु. के राजस्व प्रभाव वाले क्रमबद्ध तथा अनुपालन मामलों का पता चला।

विभाग ने अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत सृजित/प्रयुक्त नौपरिवहन रिझर्वों को प्रभावी ढंग से मॉनीटर नहीं किया है। यद्यपि टनभार कर योजना लागू करने के पश्चात् पोतों की पूर्ण संख्या तथा सकल कर भार में वृद्धि हुई है, तथापि विदेशी टनभार (प्रतिशतता के रूप में) की स्थिति स्थिर है। लेखापरीक्षा ने देखा कि पत्तन न्यासों के स्वामित्त वाली परिस्मत्तियों पर मूल्यहास की अनुमति में विसंगति थी तथा आयकर निर्धारणों में पत्तन न्यासों की स्थिति में कोई एकरूपता नहीं थी।

एनओसी जारी करने के बाद कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों अर्थात् पत्तन न्यासों तथा सीमाशुल्क प्राधिकरणों के साथ समन्वय में अभाव था। उन देशों, जहां घरेलू कानून के अन्तर्गत नौपरिवहन आय पर कोई कर नहीं है, के निवासियों को होने वाले नौपरिवहन लाभों के कराधान में अनुरूपता नहीं थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं था कि विदेशी कारबार में लगे हुए अनिवासी निर्धारितियों द्वारा प्राप्त आयात पर भाड़ा आय पर कर निर्धारित किया गया था। अनिवासियों के तटीय नौपरिवहन के कराधान हेतु समन्वय तंत्र अपर्याप्त था।

**लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि:**

- मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिझर्वों के सृजन तथा उपयोग की पर्याप्त मानीटरिंग की गई है ताकि अभिप्रेत उद्देश्य समाप्त न हो।
- मंत्रालय एक तंत्र विकसित करने पर विचार करे ताकि सीमाशुल्क अधिकारियों तथा पत्तन अधिकारियों से संगत डॉटा आवधिक रूप से प्राप्त किया जा सके तथा विभाग द्वारा जारी पत्तन क्लीयरेंस प्रमाणपत्रों के साथ उनका मिलान किया जा सके।

- मंत्रालय को एनओसीज जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी संबंधित दस्तावेजों एवं तथ्यों की जांच कर ली गई है, एक उचित तन्त्र निर्धारित करना चाहिए।
- मंत्रालय को आयात से होने वाली भाड़ा आय के कराधान हेतु एक समुचित तंत्र के गठन पर विचार करना चाहिए।
- मंत्रालय को महानिदेशक, नौपरिवहन के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि तटीय नौपरिवहन से अनिवासियों द्वारा व्युत्पन्न आय पर कर लगाया जा सके।

## II आधारभूत विकास उपक्रमों के अतिरिक्त कुछ उपक्रमों से लाभ एवं अभिलाभ की कटौतियों (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती) पर समीक्षा।

लेखापरीक्षा ने अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने एवं आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि प्रणालियां तथा पद्धतियां पर्याप्त हैं तथा विद्यमान हैं, अधिनियम के प्रावधानों के साथ निर्दिष्ट उपक्रमों द्वारा अनुपालन की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए, निर्धारण में त्रुटियों के कारण राजस्व अथवा अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं की हानि को परिमात्रित करने के लिए, इस भाग से संबंधित प्रशासन, कानून अथवा नीति में कभी अथवा विसंगतियों, यदि कोई हों, को उजागर करने के लिए धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का लाभ प्राप्त करने वाले उपक्रमों के निर्धारण अभिलेखों की समीक्षा की।

लेखापरीक्षा ने 1,510.18 करोड़ रु. के कर प्रभाव से शामिल अनियमितताओं के कुल 1,105 मामले देखे।

लेखापरीक्षा ने वे मामले देखे जहां धारा 80 आईबी के अन्तर्गत अनियमित कटौती अनुमत की गई थी जैसे औद्योगिक इकाई जो नई औद्योगिक इकाई नहीं थी परन्तु पहले से ही विद्यमान कारबार के पुनर्निर्माण से बनी थी; औद्योगिक उपक्रमों द्वारा किए गए कार्य निर्माण कार्य नहीं थे; उत्पादन क्रियाकलाप अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अन्दर शुरू नहीं किए गए थे; आय पात्र कारबार से व्युत्पन्न नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि विपणन मार्जिन के संबंध में कटौतियां अनुमत करने में शोधनशालाओं के मामलों में विभाग का दृष्टिकोण संगत नहीं था जिससे देश में अन्य शोधनशालाओं के संबंध में संभावित राजस्व हानियों के अतिरिक्त राजस्व की बड़ी राशि जोखिम में पड़ गई है। आवास क्षेत्र में, लेखापरीक्षा ने देखा कि कटौतियां अनुमत की गई थी, यद्यपि कटौती होने के लिए अधिनियम में निर्धारित कई शर्तें निर्धारितियों द्वारा पूरी नहीं की गई थी।

### लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि:

- मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कटौती अनुमत करने से पूर्व एक औद्योगिक उपक्रम की स्थिति का पता लगा लिया गया है।
- मंत्रालय को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के मामले में विपणन मार्जिन पर कटौती के संबंध में विभाग द्वारा लिए गए विभिन्न स्टैण्डों का समाधान करना चाहिए, तथा अपील के स्तर को उच्चतम स्तर तक बढ़ाना चाहिए।
- मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विनिर्माण क्रियाकलापों के संबंध में न्यायिक उद्घोषणाएं सभी समान मामलों पर लागू होंगी।
- मंत्रालय को अनुदेश जारी करने पर विचार करना चाहिए ताकि निर्धारण अधिकारी धारा 80 आईबी के अन्तर्गत निर्धारिती की पात्रता के निर्धारण में तथा कटौती की प्रयोज्यता के लिए समयावधि के बारे में सतर्क रहें।
- मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित नियंत्रण तंत्र विकसित करना चाहिए कि आवास क्षेत्र के संबंध में कटौती होने के लिए निर्धारित शर्तों का, इस संबंध में कटौती अनुमत करने से पूर्व पालन किया जाता है।
- मंत्रालय को अधिनियम की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौतियाँ अनुमत करने से पूर्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपना नियंत्रण तंत्र मज़बूत करना चाहिए।

### III. आयकर विभाग की ई-टीडीएस प्रणाली की आईटी लेखापरीक्षा

इस समीक्षा में, लेखापरीक्षा ने आयकर अधिनियम में निर्धारित कारबार अपेक्षाओं की पूर्ति, सभी साफ्टवेयर कारकों के उपयोग की सीमा, प्रक्रियाकरण की दक्षता और शुद्धता, सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता तथा डॉटा की सत्यनिष्ठा के स्तर का पता लगाने की दृष्टि से स्त्रोत पर काटे गए कर की विवरणियों की इलैक्ट्रॉनिक फाईलिंग के मूल्यांकन का प्रयास किया।

लेखापरीक्षा ने अन्य (ए आई एस, ओल्टास तथा एएसटी) संबंद्ध मॉड्यूलों के साथ अपूर्ण बाह्य इंटरफेस के मामले देखे, उपयोक्ताओं के साथ इंटरफेस उपयोक्ता अनुकूल नहीं था, पहले से ही प्रक्रियाकृत तथा अप्रक्रियाकृत विवरणियों में भेद के लिए स्वतः हल प्रदान नहीं किया जा रहा था। कारबार नियम समुचित रूप से नहीं बनाए जा रहे थे। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ई-टीडीएस प्रणाली में डॉटा की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि डाटा प्रविष्ट करने वाले प्राधिकारी विभाग के नियंत्रण से बाहर हैं। वैधीकरण नियंत्रण नहीं थे क्योंकि वहां पर, जहां अपलोड की गई विवरणियों में फाइल वैधता उपयोगिता के बावजूद त्रुटियाँ थी, हस्त्य विवरणियों का समुचित रूप से अंकीकरण नहीं किया गया था तथा आवश्यक फील्ड नहीं भरे गए थे, त्रुटियाँ पाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप विभाग में बड़ी मात्रा में त्रुटियों वाली विवरणियाँ प्राप्त हुई जिसके कारण विवरणियों का प्रक्रियाकरण कठिन हो गया। विवरणियों के अनुवर्ती अप्रक्रियाकरण के परिणामस्वरूप राजस्व की सम्भव हानि हो

सकती है। एमओयू की शर्तों के अनुसार, तृतीय पक्षकार के साथ डॉटा का बैंक अप नहीं लिया गया था तथा विभाग द्वारा बैंक अप किए गए डॉटा की सुधार हेतु नियमित रूप से जांच नहीं की गई थी तथा विभाग के अन्दर सुरक्षा उपायों की जागरूकता का अभाव था। यह भी देखा गया था कि ई - टीडीएस प्रणाली तथा नेटवर्किंग प्रणाली के विकास में विलम्ब हुआ था।

**लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि:**

- विभाग को विभिन्न बाह्य इंटरफेसों के साथ बेहतर संबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- ई - टीडीएस विवरणियों के प्रक्रियाकरण हेतु समय सीमा नियत करने की आवश्यकता है ताकि कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा राजस्व की सम्भव हानि को न्यूनतम किया जा सके। प्रक्रियाकृत विवरणियों की संख्या को मानीटर करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। ई - टीडीएस विवरणियों के प्रक्रियाकरण को बढ़ाने के लिए नेटवर्क को भी मज़बूत किए जाने की आवश्यकता है।
- डाटा की शुद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि उस पर विश्वास किया जा सके। डॉटा की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए वैधीकरण नियंत्रणों का निरन्तर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- डाटा बैंक अप लिया जाना चाहिए तथा सुधार के लिए उसकी नियमित जांच की जानी चाहिए। प्रयोक्ताओं को सुरक्षा मामलों की जानकारी दी जानी चाहिए।